

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक,
परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाएं।

पत्रांक: प्राशिप/परिषद/2024/3573

लखनऊ: दिनांक: 07/08/2024

विषय: परिषद कार्यालय से पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं हेतु सम्बद्धता विस्तार शुल्क के संबंध में।

महोदय,

परिषद कार्यालय के पत्र सं०: प्राशिप/परिषद/2024/3471, दिनांक: 02.08.2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषद से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं को प्राविधिक शिक्षा अनुभाग- 3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं०: 95/2024/आई/694626/2024/16-3099/156/2019, दिनांक: 19 जुलाई, 2024 द्वारा निर्धारित सम्बद्धता विस्तार शुल्क का भुगतान यू-राईज पोर्टल के माध्यम से करने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में परिषद से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं को पुनः निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्धारित सम्बद्धता विस्तार शुल्क का भुगतान दिनांक: 17.08.2024 तक अनिवार्य रूप से यू-राईज पोर्टल के माध्यम से करना सुनिश्चित करें। अन्य किसी भी माध्यम से सम्बद्धता विस्तार शुल्क जमा नहीं किया जायेगा। दिनांक: 17.08.2024 तक सम्बद्धता विस्तार शुल्क जमा न किये जाने पर सत्र 2024-25 का सम्बद्धता विस्तार पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

साथ ही यह भी अवगत कराना है कि परिषद से पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं को सत्र 2024-25 हेतु सम्बद्धता विस्तार शुल्क अभी जमा नहीं करना है। डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थाओं को फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया से सत्र 2024-25 हेतु अनुमोदन विस्तार प्राप्त होने के उपरान्त सम्बद्धता विस्तार शुल्क जमा करने हेतु अलग से सूचित किया जायेगा।

ऐसी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाएं (सूची संलग्न) जिसमें डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम भी संचालित हो रहा है, उन्हें सम्बद्धता विस्तार शुल्क अभी नहीं जमा करना होगा। ऐसी संस्थाओं को फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सत्र 2024-25 हेतु डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम का अनुमोदन विस्तार प्राप्त होने के उपरान्त डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम का सम्बद्धता विस्तार शुल्क एक साथ यू-राईज पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पृ०सं०: प्राशिप/परिषद/2024/3574-77

तददिनांक: 07/08/2024

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
4. नोडल अधिकारी यूराईज पोर्टल को उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक,
परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाएं।

पत्रांक: प्राशिप/परिषद/2024/3471

लखनऊ: दिनांक: 02/08/2024

विषय: परिषद कार्यालय से पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं हेतु सम्बद्धता विस्तार शुल्क के संबंध में।

महोदय,

परिषद कार्यालय के पत्र सं०: प्राशिप/परिषद/2024/2068, दिनांक: 24.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं को निर्देशित किया गया था कि परिषद द्वारा सम्बद्धता शुल्क जमा करने हेतु अलग से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे एवं सम्बद्धता विस्तार शुल्क प्राप्त होने के उपरान्त ही सम्बद्धता विस्तार पत्र प्रदान किया जायेगा।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं०: 95/2024/आई/694626/2024/16-3099/156/2019, दिनांक: 19 जुलाई, 2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार सम्बद्धता विस्तार शुल्क निर्धारित किया गया है:-

मद/कार्य	निर्धारित शुल्क रूपये में
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थानों हेतु सम्बद्धता विस्तार शुल्क	इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु रू० 25000+जी०एस०टी० (रू० पच्चीस हजार मात्र+जी०एस०टी०) प्रति पाठ्यक्रम

उपरोक्त शासनादेश के अनुक्रम में परिषद से सम्बद्ध समस्त डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित सम्बद्धता विस्तार शुल्क का भुगतान यू-राईज पोर्टल के माध्यम से करना सुनिश्चित करें। अन्य किसी भी माध्यम से सम्बद्धता विस्तार शुल्क जमा नहीं किया जायेगा।

इसके साथ यह भी अवगत कराना है कि ऐसी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाएं (सूची संलग्न) जिसमें डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम भी संचालित हो रहा है, उन्हें सम्बद्धता विस्तार शुल्क अभी नहीं जमा करना होगा। ऐसी संस्थाओं को फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सत्र 2024-25 हेतु डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम का अनुमोदन विस्तार प्राप्त होने के उपरान्त डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम का सम्बद्धता विस्तार शुल्क एक साथ यू-राईज पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ०सं०: प्राशिप/परिषद/2024/3472-75

तददिनांक: 02/08/2024

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. संयुक्त सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
4. नोडल अधिकारी यूराईज पोर्टल को उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु।


(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

Sr. No.	District	Inst Type	Inst Code	Inst Name	Address	Pincode
1	FARRUKHABAD	pvt	3362	DR. OM PRAKASH SCHOOL OF PHARMACY	BEWAR ROAD NEAR GAS PLANT NISAI FARRUKHABAD	209625
2	FARRUKHABAD	pvt	3370	SHRI JAY SINGH CHOTE SAHAB COLLEGE OF PHARMACY	KAKYOLI BABNA ROAD NAWABGANJ FARRUKHABAD	209502
3	GHAZIABAD	pvt	1560	H R INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY	7 TH KM, MEERUT ROAD, GHAZIABAD	201003
4	JAUNPUR	pvt	4433	PRASAD POLYTECHNIC	PUNCH HATIYA, SADAR JAUNPUR	222001
5	MATHURA	pvt	1220	MAHAVEER SINGH CHAHAR COLLEGE OF PHARMACY	HATHODA KARAB ADDA, TEHSIL-MAHAVAN, MATHURA	281301
6	MATHURA	pvt	1239	PCPS COLLEGE OF PHARMACY	USFAR SONKH ROAD, MATHURA	281004
7	MATHURA	pvt	1245	SMT. OMWATI DEVI COLLEGE OF PHARMACY	VILL-KOYAL, POST-RAYA, TEHSIL-MANT, MATHURA, U.P.	281204
8	HARDOI	pvt	2012	JIVIKA COLLEGE OF PHARMACY	VILL-MADARPUR, POST-BHARAWAN, TEHSIL-SANDILA, HARDOI	241202

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark